न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 137/2013

सायला :-

1. रोशन शाह पुत्र सुल्तान शाह
   जाति-साई मुसलमान,
   निवासी-निम्बोल
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम गै0सा0 :-

1. अमीना बेवा चान्दू शाह
2. निसार शाह पुत्र चान्दू शाह
3. साबीर शाह पुत्र चान्दू शाह
4. सलीम शाह पुत्र चान्दू शाह
   जातियान-साई मुसलमान,
   निवासीगण-निम्बोल
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
5. उप पंजियन अधिकारी,
   जैतारण, जिला-पाली, (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.03.04.2013

उपस्थितः- 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 21/07/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में सायल की पैतृक कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 970 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 965 रकबा 13 बीघ 15 बिस्वा की आई हुई है, जो सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 के पति गैरसायल संख्या 02 से 04 के पिता की शामलाती है। जिसकी जमाबंदी की नकले व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाव माना जावें। उक्त कृर्षि भूमि संयुक्त शामलाती हैं। जिसका कोई कानूनन बंटवाडा नहीं किया हुआ है, ना ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार से तरमीम हैं। सायल सहित सभी खातेदार हर वर्ष अपनी इच्छानुसार हिस्से पर काबिज है व काश्त करते है। गैरसायल संख्या एक के पति व गैरसायल संख्या 02 से 04 के पिता चान्दू शाह का सायल के साथ इस कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा है। चान्दू शाह का आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व इन्तकाल हो गया था। गैरसायलान के नाम बतौर उत्तराधिकारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही कराये गये है, न ही गैरसायलान ने अपने हिस्से माफिक बंटवाडा कराया गया है। इसके अलावा अन्य हिस्सेदार भंवरूशाह का भी इन्तकाल हो चुका है। जिनके उत्तराधिकारी का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया है। गैरसायलान अपने पिता के हिस्से की जमीन का बिना कोई बंटवाडा कराये बैचान कराने के आशय से सायल के खातेदारी की भूमि खरीदकर्ता को दिनांक 25/03/2013 को दिखाने के लिये लेकर आने पर सायल ने पूछताछ की तो गैरसायलान ने कहा हमारे पिता के हिस्से की जमीन का बैचान करेंगे सायल न पहले बंटवाडा करने की बात की, तो गैरसायलान नाराज हो गया तथा सायल की हिस्से की जमीन जिसको सायल ने रूपये पैसे लाकर उपजाउ बनाया तथा कूंआ खूदवाया। उस जमीन का बैचान करने की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

धमकी दी है। जबकी गै0सा0 ने इस भूमि पर काश्त नही की है। गैरसायलान सायल के हिस्से की जमीन का बैचान करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। गैरसायलान बगैर कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाये बैचान कर देते है तो सायल अपने हक व हिस्से व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी और विभिन्न प्रकार की मुकदमे बाजी होगी, जिसमे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। जिससे सायल को असीम क्षती होगी व आर्थिक नुकसान होगा। गैरसायलान को बैचान करने से रोका जाना कानूनन आवश्यक होने से जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाने का आदेश फरमाया जाये। गैरसायलान जो कि संख्या में भी ज्यादा हैं। सायल के हिस्से की जमीन का किसी अजनबी क्रेता को कब्जा कराने की कोशिश में लगे है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये, तो सायल को अपने हिस्से की भूमि पर रूपये लगाकर किये गये उपजाउ भाग से वंचित होना पडेगा। सायल का कब्जे-दस्तावेजात के आधार पर बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित हैं। सायल के पास वादग्रस्त प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष रहने से श्रीमान के समक्ष वाद प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, जो की श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 1 से 3 की ओर से वकील चावण्डदान बारहठ वकालतनामा पेश करने का समय चाहते हैं एवं गै0सा0 4 की ओर किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल के पक्ष में दिनांक 03/04/2013 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। गै0सा0 द्वारा जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में सायल की पैतृक कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 970 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 965 रकबा 13 बीघ 15 बिस्वा की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 03/04/2013 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner